

राजस्थान सरकार
राजस्व ॥ ग्रुप-6 ॥ विभाग

क्रमांक :- प. 10 ॥ राज-6/94/पाट/43 जयपुर, दिनांक :-

27-8-98

-: अधिसूचना :-

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 ॥ 1956 का राजस्थान अधिनियम संख्या 15 ॥ की धारा 261 की उप-धारा २ ॥ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राजस्थान भू-राजस्व ॥ भूमि अभिलेख ॥ नियम, 1957 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ. - ॥ इन नियमों का नाम राजस्थान भू-राजस्व ॥ भूमि अभिलेख ॥ ॥ संशोधन ॥ नियम, 1998 है ।
॥ 2 ॥ ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।
2. राजस्थान भू-राजस्व ॥ भूमि अभिलेख ॥ नियम, 1957 के विद्यमान नियम 6 में शब्दों " विशेष भत्ता " के स्थान पर शब्द " विशेष वेतन " प्रतिस्थापित किये जायेंगे ।

राज्यपाल की आज्ञा से ,

॥ के० पी० सिंघल ॥
शासन उप सचिव

यनोज